न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 107/2024 (GCMS : 2024/148)

1. **रमनदीप सिंह** पुत्र तेजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी डेलवां तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **बादल सिंह** पुत्र श्री भरत सिंह
2. **पलविन्द्र सिंह** पुत्र लक्ष्मण सिंह
3. **धमेन्द्र सिंह** पुत्र राम सिंह
4. **देवेन्द्र सिंह** पुत्र राम सिंह

} निवासी 9 एनएन ढाणी डेलवां तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

5. **तहसीलदार, पदमपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा तहसीलदार पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 211/2024 अनवानी सरकार बनाम रमनदीप सिंह अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के पिता तेजेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह ने चक 9 एनएन खाता संख्या 80/66 मु.नं. 35 में 12 बीघा रकबा खरीद किया हुआ है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया है इस जमीन पर अब प्रार्थी काश्त कर रहा है।,

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मु.नं. 35 के किला नम्बर 1 से 5 में रास्ता मंजूर किया जावे जिस पर प्रार्थी ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि मु.नं. 17 को रास्ता मु.नं. 35 के किला नम्बर 5 में जा रहा है किसी प्रकार से रास्ता की आवश्यकता नहीं थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार से रि[illegible] किला नम्बर 1 से 5 में कोई रास्ता नहीं चल रहा, ना ही कोई रास्ता है बल्कि [illegible] के किला नम्बर 5 में रास्ता चल रहा है इसलिए मु.नं. 17 को रास्ते की कोई आ[illegible]कता नहीं है, जिस[illegible] प्रार्थीयान ने अपना प्रार्थना पत्र खारिज करवा लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा राजनैतिक दबाव संख्या 5 पर डालकर गलत तरीके से किला नम्बर 1 से 5 रास्ता चालू करवाना चाहते है जबकि 1954 से लेकर आज तक कोई रास्ता मु.नं. 35 किला नम्बर 1 से 5 में नही है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के खिलाफ विधि विरूद्ध नोटिस जारी किया है कि किला नम्बर 1 से 5 में अपने रास्ते की जगह पर मूंग व नरमा काश्त कर रखा है इसे तुरन्त खाली कर देवे वरना इस अतिक्रमण को हटाया जावेगा। **जबकि नियम के तहत रास्ते की जगह खाली करने का अधिकार तहसीलदार को नही है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय के समक्ष मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात **भी तहसीलदार, पदमपुर द्वारा दिनांक 19.07.2024 को विधि विरूद्ध एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, इसलिए तहसीलदार, पदमपुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।**

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी सरकार बनाम रमनदीप सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर द्वारा उक्त प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 19.07.2024 से निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तामील तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:17 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर